कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ.3–15(सी)AA-1051 / अनु:3 / डी– 493 दिनांक– 20/5/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पंजीयन आदेश संख्याः–एफ.3–15(सी)AA-1051 / अनु:3 / डी–2253 दिनांक 30.01.2020 द्वारा **श्री विपिन कुमावत, H.O. 'श्रीनाथ सदन' फौज मोहल्ला, नाथद्वारा, राजसमन्द, B.O. 13, राजस्थान सिन्थेटिक ऑफिस के पास, गौरव पथ, भुवाणा, उदयपुर–313001** को 'एए' श्रेणी में स्थायी रुप से पंजीकृत किया गया था। अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग–प्रथम, उदयपुर के पत्रांक 864 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा अवगत कराया कि, उक्त फर्म को पैकेज संख्याः– RJ-27-03/RIDF-27/2021-22, RJ-27-04/RIDF-27/2021-22, RJ-27-05/RIDF-27/2021-22 एवं RJ-27-02/Nagar Parishad/2021-22 के कार्य आवंटित किये गये थे। आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 के नियम 76 अनुसार फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एवं अनुबन्ध हेतु स्टाम्प जमा नहीं कराने पर उक्त पैकेजों की निविदाऐं निरस्त करते हुए फर्म की 2 प्रतिशत निविदा धरोहर राशियां जब्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं सम्भाग कार्यालय द्वारा फर्म को पंजीयन नियमों के तहत भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंषा प्रस्तुत की गई। जिस क्रम में फर्म को इस कार्यालय के पत्रांकः–एफ.3–15(सी)AA-1051 / अनु:3 / डी–219 दिनांक 28.04.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका फर्म द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक 13.05.2022 प्रस्तुत किया गया है, जो विभागीय परीक्षण के उपरान्त अमान्य पाया गया।

अतः अति.मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग–प्रथम, उदयपुर के पत्रांक 864 दिनांक 22.03.2022 के द्वारा सूचित फर्म की जब्त निविदा धरोहर राशियों के अतिरिक्त श्री विपिन कुमावत, H.O. 'श्रीनाथ सदन' फौज मोहल्ला, नाथद्वारा, राजसमन्द, B.O. 13, राजस्थान सिन्थेटिक ऑफिस के पास, गौरव पथ, भुवाणा, उदयपुर–313001 के **उक्त पंजीयन को लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 334 के परिशिष्ट XVI, अनुभाग VIII पैरा VIII.5(I) के अनुसरण में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से छः माह की अवधि हेतु समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।**

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. महालेखाकार,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता,सिंचाई / जन–स्वास्थ्य अभि. विभाग / भू–जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर।
4. आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि.,जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
7. अति.मुख्य अभियंता,सा.नि.वि.(समस्त) ।
8. निदेशक अभियांत्रिक,जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
9. सचिव ,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता,सा.नि,वि, (समस्त)
11. तकनीकी सहायक प्रथम / अधीक्षण अभियंता(भवन / पथ / राराऊ मार्ग / ई–टेंडरिंग, मु.अ. कार्यालय, सा. नि.वि.जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी),सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश सा.नि.वि. की विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
13. **श्री विपिन कुमावत, H.O. 'श्रीनाथ सदन' फौज मोहल्ला, नाथद्वारा, राजसमन्द, B.O. 13, राजस्थान सिन्थेटिक ऑफिस के पास, गौरव पथ, भुवाणा, उदयपुर–313001**

20/5/22
(सुरेश चन्द पारीक)
अधिशाषी अभियन्ता(मुख्यालय)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर